

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 45/2018

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00448

मेहरचंद आदि बनाम जडावली आदि

दावा- घोषणात्मक, रिकॉर्ड दुरुस्त, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 5/7/23 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतःवाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 983 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 984 रकबा 0.16 है. तथा खसरा नम्बर 672 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 673 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 677 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 1001 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.06 है. में वादी को 0.58 है. रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त रकबा प्रति. सं. 1 लगायत 7 एवं प्रति. सं. 11 व 12 के हिस्से में से कम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा विभाजन में वादी को भूमि खसरा नम्बर 252, 983, 984 किता 3 रकबा 0.58 हैक्टर दिये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है, वह भूमि खसरा नम्बर 252, 983, 984 का खाता वादी मेहरचन्द के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 5/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपस्थान अधिकारी एवं
पदेन महासकाय के अध्यक्ष बुहाना
जिला शुद्धनू (राज.)

